

**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा**  
**मध्य प्रदेश**  
**सतपुडा भवन, छटवीं मंजिल, मध्य प्रदेश भोपाल**  
**दूरभाष क्रमांक-0755-2550186 फेक्स 0755-2551719,2550186**

क्रमांक 1125 / पी0जी0 / प्रवेश / संचिशि / 2016

भोपाल दिनांक 07 / 05 / 2016

**// सूचना //**

**शासकीय स्वशासी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पी0जी0 2016 की स्टेट कोटे की द्वितीय चरण की (आफलाईन) काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में सूचना**

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा AIPGMEE-2016 (आल इण्डिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन) तथा AIPGDEE-2016 ( आल इण्डिया पोस्ट ग्रेज्युएट डेंटल एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन ) की मैरिट के आधार पर पी0जी0 2016 की स्टेट कोटे की द्वितीय चरण की (आफलाईन) काउंसलिंग की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. 7 & 8, W.P. 76/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18/01/2016 में निर्धारित कार्यक्रम एवं I.A. 83/2015 W.P. 4060/2009 में पारित निर्णय दिनांक 17/03/2016 के परिपालन में उपरोक्त विवरण अनुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 10.30 बजे से सायं काल 5.30 बजे तक निम्नानुसार की जायेगी:-

स0क0	कार्यक्रम/स्थल	अभ्यर्थी जिन्हें सम्मिलित होना है	तिथि	दिवस
1	मूल अभिलेखों की स्कूटनी  स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	ऐसे समस्त पात्र, इच्छुक एमपी आनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में घोषित स्कूटनी कार्यक्रम (दिनांक 23/04/2016 से 26/04/2016) में किसी भी कारण से अपने मूल दस्तावेजों की स्कूटनी नहीं करा पाये हों।	11/05/2016	01 दिवस
2	i) ड्रा आफ लॉट :- आल इण्डिया कोटे से राज्य को रिवर्टेड सीटों पर		12/05/2016	01 दिवस
	ii) आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया एम0डी0एस0 अभ्यर्थी	ii) AIPGDEE-2016 की मेरिट सूची में सम्मिलित आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के एम.डी.एस. सीटों के लिये समस्त पात्र, इच्छुक एवं एम.पी.ऑनलाईन में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।	12/05/2016	01 दिवस
	iii) आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया सेवारत अभ्यर्थी	iii) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची में सम्मिलित आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के समस्त पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन में रजिस्टर्ड सेवारत अभ्यर्थी ।	12/05/2016	01 दिवस

<p>iv) आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया डिमोन्सट्रेटर</p>	<p>iv) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची में सम्मिलित आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के समस्त पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन में रजिस्टर्ड डिमांस्ट्रेटर (प्रदर्शक) अभ्यर्थी ।</p>	<p>12/05/2016</p>	<p>01 दिवस</p>
<p>v) आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया विकलांग अभ्यर्थी</p> <p>स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल</p>	<p>v) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची में सम्मिलित आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के समस्त पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन में रजिस्टर्ड विकलांग अभ्यर्थी ।</p> <p><b>नोट- पी0जी0 2016 स्टेट कोटे की द्वितीय चरण की काउंसलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे (मध्यप्रदेश राजपत्र दि0 01 अप्रैल,2016, नियम-17 (15))</b></p> <p>(1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश के समय अपप्रेडेशन का आषान दिया है, वे अपनी मेरिट,श्रेणी एवं पात्रतानुसार भाग ले सकेंगे ।</p> <p>(2) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो पूर्व से ही एम.पी. ऑनलाईन में पंजीकृत है किन्तु उन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वह भी इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे ।</p> <p>(3) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में ऑफ्ट फॉर वेटिंग का आषान दिया है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे ।</p> <p>(4) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसलिंग में च्वाईस फिलिंग नहीं की है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे ।</p> <p><b>अपात्रता :-</b></p> <p>(1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश के समय Satisfied का आषान दिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016 नियम-17 का उप नियम-17)</p> <p>(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल,2016 के नियम-17</p>	<p>12/05/2016</p>	<p>01 दिवस</p>

		<p>के उप नियम-14 के अनुसार)</p> <p>(3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया था परन्तु किसी भी कारणवश प्रवेश उपरांत उस प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे दिया हो (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल, 2016 के नियम-17 के उप नियम-16 के अनुसार)</p>		
3	<p>आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया, ओपन अभ्यर्थी</p> <p>स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल</p>	<p>(1) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 1338.5404 से 1108.8442 तक के समस्त आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।</p>	13/05/2016	01 दिवस
		<p>(2) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 1108.1232 से 1000.3744 तक के समस्त आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।</p>	14/05/2016	01 दिवस
		<p>(3) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 1000.1233 से 849.3832 तक के समस्त आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।</p>	15/05/2016	01 दिवस
		<p>(4) AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 849.1111 से 601.5044 तक के समस्त आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के पात्र, इच्छुक एवं एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ।</p>	16/05/2016	01 दिवस

नोट- पी0जी0 2016 स्टेट कोटे की द्वितीय चरण की काउंसलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे (मध्यप्रदेश राजपत्र दि0 01 अप्रैल,2016, नियम-17 (15)

- (1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के समय अपप्रोडेशन का आषान दिया है, वे अपनी मेरिट,श्रेणी एवं पात्रतानुसार भाग ले सकेंगे ।
- (2) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो पूर्व से ही एम. पी.ऑनलाईन में पंजीकृत है किन्तु उन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वह भी इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे ।
- (3) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में ऑफ्ट फॉर वेटिंग का आषान दिया है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे ।
- (4) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग नहीं की है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे ।

**अपात्रता :-**

- (1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के समय Satisfied का आषान दिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016 नियम-17 का उप नियम-17)
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है । (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल,2016 के नियम-17 के उप नियम-14 के अनुसार)
- (3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया था परन्तु किसी भी कारणवश प्रवेश उपरांत उस प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे दिया हो (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल,2016 के नियम-17 के उप नियम-16 के अनुसार)

### Conversion Round

1	आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया, अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति श्रेणी स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	(1) अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति श्रेणी के समस्त एम0पी0ऑनलाईन रजिस्टर्ड इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ।	17 / 05 / 2016	01 दिवस
2	आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	(2) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त एम0पी0ऑनलाईन रजिस्टर्ड इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ।	18 / 05 / 2016	01 दिवस
3	आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया अनारक्षित श्रेणी स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 1338.5404 से 984.3328 तक के अनारक्षित श्रेणी के समस्त एम0पी0ऑनलाईन रजिस्टर्ड इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ।	19 / 05 / 2016	01 दिवस
4	आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया अनारक्षित श्रेणी स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	AIPGMEE-2016 की मेरिट सूची के अनुसार मेरिट मार्क्स 983.2179 से 750.1189 तक के अनारक्षित श्रेणी के समस्त एम0पी0ऑनलाईन रजिस्टर्ड इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ।  नोट- पी0जी0 2016 स्टेट कोटे की द्वितीय चरण की काउंसलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे (मध्यप्रदेश रापजत्र दि0 01 अप्रैल,2016, नियम-17 (15) (1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का आर्षान दिया है, वे अपनी मेरिट,श्रेणी एवं पात्रतानुसार भाग ले सकेंगे । (2) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो पूर्व से ही एम.पी. ऑनलाईन में पंजीकृत है किन्तु उन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वह भी इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे । (3) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में ऑफ्ट फॉर वेटिंग का आर्षान दिया है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे । (4) ऐसे एम.पी.ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग नहीं की	20 / 05 / 2016	01 दिवस


		<p>है, वे सभी इस चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।</p> <p><b>अपात्रता-</b></p> <p>(1) प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के समय Satisfied का आग्रह दिया है। (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016 नियम-17 का उप नियम-17)</p> <p>(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है। (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल, 2016 के नियम-17 के उप नियम-14 के अनुसार)</p> <p>(3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया था परन्तु किसी भी कारणवश प्रवेश उपरांत उस प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे दिया हो (मध्यप्रदेश राजपत्र, 01 अप्रैल, 2016 के नियम-17 के उप नियम-16 के अनुसार)</p>	
--	--	---	--

**नोट:- तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी काउंसलिंग स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी।**

### **महत्वपूर्ण निर्देश**

1. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग में भाग लेने के पूर्व पी0जी0 प्रवेश नियम 2016 का भलीभाँती अध्ययन कर समझ लें।
2. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. आवंटन उपरान्त काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अतः प्रवेश हेतु सभी इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ उपस्थित हों।
4. दस्तावेजों अथवा फीस के अभाव में किया गया आवंटन निरस्त हो जावेगा। एवं ऐसा अभ्यर्थी आगे के आवंटन के लिये अपात्र घोषित हो जायेगा।
5. फीस मल्टीसिटी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जा सकेगी।
6. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग में आवश्यकता होने पर निर्धारित तिथि के अलावा अगले दिन भी रूकने की व्यवस्था के साथ आवें।

उपरोक्त आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही एवं अन्य जानकारी संचालनालय की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) एवं एमपी आनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संचालनालय एवं एमपी आनलाईन की वेबसाइट पर लगातार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहें। इस हेतु अलग से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा।

  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा  
 मध्य प्रदेश

दूरभाष क्रमांक-0755-2551719, 2550186